संख्या– 852/26–ब0प्र0–2010–1(01)/2010

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 27 अक्टूबर 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति के 04 बालक/बालिका राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रू0 2928.84 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृति की जा रही धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

कमांक	जनपद का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) जनपद गाजीपुर	732.21	250.00
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) जनपद गाजियाबाद	732.21	250.00
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक) जनपद कुशीनगर	732.21	250.00
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक) जनपद उन्नाव	732.21	250.00
	योग–	2928.84	1000.00

(रूपये दस करोड़ मात्र)

2– उक्त धनराशि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध करायेंगे।

3– प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कुकिंग गैस सिस्टम की लागत को सम्मिलित करते हुए संशोधित आंकलित लागत रू0 732.21 लाख पर अनुमोदित करते हुए पूर्व में यह निर्देश दिये गये हैं कि मानकीकृत प्रस्ताव में भवन के कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों का मानकीकरण किया जाता है जिससे लागत का निर्धारण होता है।

4– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–07–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 ई–3–1680/ दस– 2010, दिनांक 24 सितम्बर ,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

संख्या– 852(1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– जिलाधिकारी, गाजीपुर/गाजियाबाद/कुशीनगर/उन्नाव।
4– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट,कैसरबाग, लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
7– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
8– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।